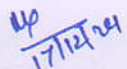
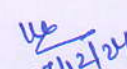


न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्यूटेशन रिविजन वाद सं०-08/2023
नसीयत शेख उर्फ नोसियत शेख एवं अन्य
बनाम
जसमीर शेख वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
17/12/2024	<u>आदेश</u> यह रिविजन वाद, रिविजनकर्ता नसीयत शेख उर्फ नोसियत शेख एवं अन्य के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-32/2023-24 में दिनांक-25.10.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध विपक्षी जसमीर शेख, पिता-दुलजहान शेख वगैरह को पक्षकार बनाते हुए Bihar Tenants Holding (Maintanance of Records) Act, 1973 की धारा 16 के तहत दाखिल किया गया है। वर्णित वाद अंचल महेशपुर अन्तर्गत मौजा-सोहबिल सं०-294, खाता सं०-85, दाग सं०-526 के अंतर्गत की भूमि से संबंधित है एवं उक्त भूमि के संबंध में वर्णित वाद के विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर को दिये गये नामांतरण हेतु आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, महेशपुर के द्वारा नामांतरण वाद सं०-1974/21-22 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि पर नामांतरण की स्वीकृति विपक्षी के पक्ष में दिया गया एवं उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं०-32/2023-24 दायर किया गया, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर के द्वारा नामांतरण वाद में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया है। अपीलकर्ता का यह रिविजन आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के इसी आदेश के विरुद्ध दाखिल है। अपील आवेदन अंगीकृत के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि के दखल के अनुमानित अवधि के संबंध में अंचल अधिकारी, महेशपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी, महेशपुर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। वर्णित वाद में आवेदकगण के द्वारा दिनांक-06.12.2024 को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर Withdraw Petition दाखिल किया गया है, जिसमे उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सुलहनामा के माध्यम से वाद विषय का हल किया गया है। साथ ही इनके द्वारा वाद की कार्रवाई निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक का पक्ष सुनते हुए वर्णित वाद अभिलेख आदेश हेतु निर्धारित किया गया।	

(लगातार.....)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	आवेदकगण के मनोनित अधिवक्ता का सुना एवं इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये Withdraw Petition का अवलोकन किया। इनका कहना है कि आवेदक द्वारा वर्णित वाद के विपक्षी के साथ सुलहनामा किया गया है। इस हेतु वे इस रिविजन वाद को चलाना नहीं चाहते हैं एवं इनके द्वारा वाद की कार्यवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा किये गये अनुरोध पर आवेदकगण को न्यायालय में उपस्थित कराया गया एवं आवेदकगण के द्वारा अपने मनोनित अधिवक्ता के द्वारा किये गये अनुरोध पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी। इसी क्रम में आवेदकगण के द्वारा एकरारनामा की प्रति एवं शपथ-पत्र भी दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे इस वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा समर्पित किये गये Withdraw Petition को स्वीकृत किया जाता है एवं वाद की अग्रेत्तर कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  उपायुक्त, पाकुड़।  उपायुक्त, पाकुड़।